राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2223862
e mail ID : projectdirectorch@gmail.com

क्रमाक एफ 7( )एनएचएम/सी एच /2019 682 दिनाक 11.7.19

जिला कलेक्टर,
मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक एव माध्यमिक शिक्षा),
उपनिदेशक, महिला एव बाल विकास विभाग,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी,
कुलपति, विश्वविद्यालय राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) अगस्त 2019 हेतु दिशा–निर्देश

मृदा से सचारित कृमि सक्रमण (Soil Transmitted Helminths) भारत के लिए जन स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। एक अनुमान के अनुसार देश मे 1–14 वर्ष के लगभग 22 करोड बच्चो को आत मे कृमि का खतरा है। साक्ष्य यह बताते है कि कृमि सक्रमण बच्चो के शारीरिक विकास, एनीमिया, पोषण और ज्ञान सम्बन्धी विकास के साथ–साथ विद्यालय की उपस्थिति पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। निश्चित समयातराल पर कृमि मुक्त (डिवर्मिंग) करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। वर्ष 2019 मे भी देशभर मे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (नेशनल डिवर्मिंग डे) कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर एक निश्चित दिवस पर कम लागत, सरल एव सुरक्षित तरीके से आयोजित किया गया ताकि भारत मे लाखो बच्चो पर कृमि सक्रमण के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके।

राजस्थान सरकार राज्य के बच्चो के स्वास्थ्य स्तर मे सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। कृमि सक्रमण को कम करने हेतु राजस्थान में वर्ष 2012 से विद्यालय और ऑगनबाडी आधारित कृमि मुक्ति कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। राज्य मे इस कार्यक्रम को वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 मे भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एव बाल विकास विभाग (ICDS) के साझा प्रयास और एविडेस एक्शन के तकनीकी सहयोग से सभी 1 से 19 वर्ष के बच्चो को कृमि मुक्त करने हेतु आयोजित किया गया था। वर्ष 2019 मे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 8 अगस्त 2019 को और उसके साथ मॉप–अप दिवस दिनाक 19 अगस्त 2019 को राज्य के समस्त विद्यालयो (राजकीय एव निजी), समस्त ऑगनबाडी केन्द्रोऔर प्रथम बार सम्मिलित किये जा रहे सभी महाविद्यालयो (राजकीय एव निजी), तथा तकनीकी सस्थानो पर आयोजित किया जायेगा।

हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को आयोजित करने मे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एव बाल विकास विभाग के योगदान के साथ–साथ अन्य सहयोगी विभागो की सक्रिय' भागीदारी की आशा करते है। तीनो विभागो द्वारा इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने एवं कवरेज को बढाने हेतु, राज्य, जिला एव ब्लॉक स्तर पर संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 8 अगस्त 2019 के सफल क्रियान्वयन हेतु तीनो विभागो मे समन्वय बढाने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओ पर कार्य करना अपेक्षित है–

1 सभी सहयोगी विभाग, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन हेतु निर्धारित दिनाक 8 अगस्त 2019 और मॉप अप दिवस हेतु निर्धारित दिनाक 19 अगस्त 2019 को इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित करे।

2 जिला एव ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता मे स्वास्थ्य समिति की बैठक करे, जिसमे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एव बाल विकास विभाग व अन्य सहयोगी विभागो के अधिकारियो को सम्मिलित किया जाये, जिससे कि कार्यक्रम हेतु योजना निर्माण, क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग पूर्व निर्धारित दिशा–निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित की जा सके।

3 सभी विभाग अपनी विभागीय बैठको में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के प्रमुख बिन्दुओ को प्रमुखता से सम्मिलित करे जिससे कि कार्यक्रम से सम्बंधित मुख्य सदेशो को बताया जा सके और उच्च कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने मे सहायता मिल सके।

4 राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लॉक अधिकारियो का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह तक करवाया जाना अपेक्षित है, ब्लॉक/सेक्टर स्तरीय अध्यापको एव ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण उनके सम्बधित विभागो एव स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए प्रशिक्षण तत्र (Training Cascade) के अनुसार जुलाई, 2019 के तृतीय सप्ताह तक पूर्ण करवाया जाना अपेक्षित है।

5 कवरेज को बढाने और कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता लाने के लिए सभी भागीदार विभाग, स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त प्रचार–प्रसार सामग्री को विद्यालयो एव ऑगनबाडी केन्द्रो और समुदाय मे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के एक सप्ताह पूर्व से उपयुक्त जगह पर प्रसारित करेगे।

6 सभी ऑगनबाडी कार्यकर्ता 1 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चो (ऑगनबाडी मे पजीकृत एव ऑगनबाडी मे अपजीकृत बच्चो) और विद्यालय न जाने वाले 6 से 19 वर्ष के बच्चो को एल्बेडाजॉल की गोली अपनी देख रेख मे अवश्य देवे।

7 समस्त विद्यालयो/महाविद्यालयो के अध्यापक/व्याख्याता 6 से 19 वर्ष तक के बच्चो को जो कि प्राईवेट विद्यालय/महाविद्यालय, प्राईवेट शालापूर्व केन्द्रों, सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय, केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय/महाविद्यालय स्थानीय निकाय द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय/महाविद्यालय, मदरसा, आदिवासी क्षेत्र के लिए चलाए जा रहे विद्यालय, सस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय इत्यादि मे नामांकित है उन्हे एल्बेडाजॉल की गोली अपनी देख रेख मे अवश्य देवे।

8 आशा सहयोगिनी विद्यालय नही जाने वाले बच्चो (6–19 वर्ष) तथा ऑगनबाडी केद्र मे अपजीकृत (1–5 वर्ष) बच्चो की सूची जुलाई 2019 के प्रथम सप्ताह मे तैयार करके ऑगनबाडी कार्यकर्ता को प्रस्तुत करेगी। आशा सहयोगिनी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा मॉप–अप दिवस पर दवाई खिलाने के लिए ऑगनबाडी केद्र पर बच्चो को मॉबिलाईज करेगी। आशा मॉप–अप दिवस के उपरान्त आशा रिपोर्टिंग फॉर्म (जिसमे दवा खिलाए गए स्कूल नही जाने वाले और ऑगनबाडी केन्द्र मे अपजीकृत बच्चों की जानकारी हो) को 100 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये सत्यापन हेतु एएनएम को प्रस्तुत करेगी।

9 सभी सम्बधित विभागो को एल्बेडाजॉल गोली के बारे मे यह जानकारी बतानी चाहिए कि यह गोली सभी के लिए सुरक्षित है और इसका सेवन खाली पेट भी किया जा सकता है। (WHO guideline)

10 सभी सम्बधित विभागो के अधिकारी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप–अप दिवस के दिन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने हेतु निर्धारित निरीक्षण प्रपत्रो को भरकर सम्बधित अधिकारियो को प्रोषित करे तथा ईमेल आईडी **wifs.raj1@gmail.com** पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करे।

11 विद्यालय के अध्यापक, महाविद्यालय के व्याख्याता और ऑगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा भरे गये निर्धारित प्रपत्र को रिपोर्टिंग तत्र (Reporting Cascade) के अनुसार समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करे। NDD Application मे इन्द्राज (Entry) हेतु ब्लॉक स्तर की रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र मे सकलित करके एक प्रति शिक्षा विभाग (प्रारभिक एवं माध्यमिक विभाग) द्वारा BCMHO को 11 सितम्बर, 2019 तक देना सुनिश्चित करे।

12 स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और स्काउट एव गाइड एव स्वच्छ भारत अभियान के साथ समन्वय स्थापित किया जाना है, जिससे की उपलब्ध मचो का उपयोग करते हुए समुदाय को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके।

13 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस के दिन प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक/व्याख्याता/ऑगनबाडी कार्यकर्ता किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान के लिए सजग रहे एव सुनिश्चित करें कि प्रतिकूल घटना होने पर समय से सूचना एएनएम के माध्यम से चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी (BCMO) एव जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (Deputy CMHO F.W.) तथा राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को दी जाये।

14 किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना के समाधान हेतु ब्लॉक स्तरीय एडवर्स इवेंट रेस्पोस मैनेजमेंट टीम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की मोबाईल टीम और 108 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार रखा जाए।

15 स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य एव जिला स्तरीय प्रैस/मीडिया प्रतिनिधियो को कार्यक्रम के बारे मे जागरूक और सवदेनशील बनाने हेतु उनके साथ अगस्त 7, 2019 से पूर्व विशेष बैठक आयोजित की जाये।

16 स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम के बारे में समुदाय मे जागरूकता बढाने हेतु अगस्त 7, 2019 को राज्य, जिला एव ब्लॉक स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम अवश्य आयोजित किये जायेगे एव विभिन्न मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार –प्रसार किया जायेगा।

17 शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राईवेट विद्यालयो की जुलाई 2019 मे विशेष बैठक आयोजित करें जिससे उन्हे कार्यक्रम के सम्बध मे जागरूक करके उनकी भागीदारी बढायी जा सके।

18 सभी सम्बधित विभागो द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हेतु बच्चो के निर्धारित विभिन्न आयु वर्गों के जिले एव ब्लॉक वार आकडे सलग्न है। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक अधिकारी NDD application द्वारा रिपोर्टिंग करते समय इन्ही आकडों का उपयोग करना सुनिश्चित करे।

19 एविडेस एक्शन द्वारा लगाए गये फील्ड स्टाफ भी जिला एव ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करे।

20 मॉप–अप दिवस (अगस्त 19, 2019) के पश्चात संस्थानो (विद्यालय, महाविद्यालय एव ऑगनबाडी) मे बची हुई दवा को अगस्त 2019 हेतु तय की गयी रिपोर्टिंग प्रणाली Reporting Cascade के अनुसार रिपोर्टिंग प्रपत्र के साथ जमा करवाये।

हमे यह विश्वास है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अगस्त 2019 मे आप सभी के सहयोग से हम 1–19 वर्ष के सभी बच्चो तक पहुचने मे सफल होगे तथा इन सभी बच्चो को कृमि मुक्त कर बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षणिक परिणाम से उनके जीवन की गुणवत्ता मे सुधार ला सकेगे।

(श्री रोहित कुमार सिंह)	(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)	(श्रीमती गायत्री ए. राठौड)
अतिरिक्त मुख्य सचिव	प्रमुख शासन सचिव	शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एव प0 क0 विभाग	राजस्थान जयपुर	महिला एव बाल विकास
राजस्थान जयपुर		विभाग राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मत्री, राजस्थान सरकार।
2 निजी सचिव, शिक्षा मत्री, राजस्थान सरकार।
3 निजी सचिव, महिला एव बाल विकास मत्री, राजस्थान सरकार।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग, राजस्थान।
6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग से निवेदन है कि उपलब्ध मचो का उपयोग कर कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता पैदा करे।
8 निजी सचिव, शासन सचिव, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान।
9 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एव बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
10 सचिव उच्च एव तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर से निवेदन है कि सबधित महाविद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करे।
11 आयुक्त, पचायती राज विभाग से निवेदन है कि उपलब्ध मचो का उपयोग करके कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता पैदा करे और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को जिला एवं ब्लाक स्तरीय बैठको का एजेन्डा रखे।

12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान से निवेदन है कि नगर निगम, नगर परिषद् एव नगर पालिका में लगे हुए कचरा संग्रहण वाहनों में कार्यक्रम से सम्बधित जिगल चलाने हेतु दिशा–निर्देश जारी कर कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करे।
13 निजी सहायक मिशन निदेषक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
14 आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
15 आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशेष सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर से निवेदन है कि सबंधित महाविद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करें।
16 निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान जयपुर।
17 निदेशक, आई सी डी. एस. से निवेदन है कि आगनबाडी केन्द्र हेतु उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करवाने का श्रम करें।
18 निदेशक/राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन, पचायती राज विभाग से निवेदन है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत उपलब्ध मंचों का उपयोग करके कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता पैदा करे और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को जिला एव ब्लॉक स्तरीय बैठकों का एजेन्डा रखें।
19. आयुक्त, मिड डे मील से निवेदन हैं की राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की कवरेज रिपोर्टिंग मिड डे मील योजना के एस.एम.एस. प्लेटफॉर्म के माध्यम से 9 अगस्त एवं 19 अगस्त 2019 को करना सुनिश्चित करें।
20 अतिरिक्त मिशन निदेषक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
21 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
22 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
23 सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड को भेजकर निवेदन है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में पजीकृत सभी मदरसो को कार्यक्रम मे भाग लेने हेतु दिशा–निर्देश जारी करे।
24 उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय सगठन, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से निवेदन है कि सबधित विद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करें
25 उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय सगठन, आगरा क्षेत्रीय कार्यालय से निवेदन है कि सबधित विद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करें
26 उपायुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से निवेदन है कि संबधित विद्यालयो को उक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करें
27 निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
28 निदेशक, आर.सी.एच, जयपुर।
29 प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कैडेट कोर से निवेदन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर सदस्यों के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करे।
30 राज्य निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र सगठन से निवेदन है कि नेहरू युवा केन्द्र के स्वय सेवको के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करें।
31 सचिव, राजस्थान भारत स्काउट एवं गाईड से निवेदन है कि स्काउट और गाईड के माध्यम से कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता पैदा करें।
32. समस्त प्राईवेट स्कूल यूनियन से निवेदन है कि सम्बधित प्राईवेट स्कूलो मे कार्यक्रम के बारे मे जागरूकता पैदा करके उन्हें कार्यक्रम मे भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
33 परियोजना निदेशक (मातृत्व/शिशु स्वास्थ्य), एन. एच. एम. जयपुर
34 नोडल अधिकारी WIFS/Deworming/Education/ICDS
35 पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, राजस्थान।
36. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एविडेंस एक्शन–डिवर्म द वर्ल्ड इनीशियेटिव, राजस्थान।
37 सर्वर प्रभारी कक्ष को ईमेल एव वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
38 रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,जयपुर।	राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान	निदेशक समेकित बाल विकास सेवाऐ